राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3409/2024

रितेश कुमार शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.11.2024
आदेश की दिनांक : 26.11.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर अप्रैल 1997 में हुई थी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 04.04.1997 को कार्यग्रहण किया। उसके पश्चात् आदेश दिनांक 09.07.2024 के द्वारा अपीलार्थी की वर्ष 2021–22 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी की पदोन्नति आदेश दिनांक 09.07.2024 (अनुलग्नक–2) द्वारा वर्ष 2021–22 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के पद पर की गई। अपीलार्थी के अनुभव दिनांक 01.04.2021 से पदोन्नति हेतु गणना योग्य है तथा अपीलार्थी को 3 वर्ष से अधिक का अनुभव उक्त पदोन्नति अनुसार हो गया है तथा राज्य सरकार ने समस्त पदोन्नतियों में 2 वर्ष की छूट प्रदान की है। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 14.11.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा वर्ष 2023–24 व 2024–25 की रिक्तियों के विरूद्ध प्रधानाध्यापक की पदोन्नति हेतु पात्रता सूची जारी की है, जिसमें अपीलार्थी को शामिल नहीं किया है। जबकि अपीलार्थी दांये पैर से 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग है तथा राज्य सरकार ने दिनांक 30.11.2021 को पदोन्नति में दिव्यांग का 4 प्रतिशत आरक्षण प्रभावी किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग राज्य सरकार के कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र के अनुसार अपीलार्थी को प्रधानाध्यापक

के पद हेतु दिव्यांग श्रेणी में शामिल नहीं कर रहे है। कार्मिक विभाग ने दिनांक 30.11.2021 (अनुलग्नक–3) द्वारा समस्त विभागों को निर्देशित करते हुए आदेश जारी किया है कि रोस्टर रजिस्टर के क्रम सं. 1, 26, 51 एवं 76 वाले पद पर पदोन्नति दिव्यांगजन हेतु क्षैतिज आधार पर आरक्षित रहेंगे। कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र के बावजूद प्रत्यर्थी विभाग ने दिव्यांगजन के आधार पर पदोन्नति पर अपीलार्थी को शामिल नहीं कर रहे है। कार्मिक विभाग के संशोधित परिपत्र दिनांक 10.08.2022 (अनुलग्नक–4) में यह स्पष्ट रूप से सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि उपर्युक्त बैचमार्क निःशक्तजन कार्मिक उपलब्ध नहीं होने पर विचारण सीमा को कुल रिक्तियों के 7 गुणा तक बढ़ाया जा सकेगा तथा दिव्यांगजन के पदोन्नति/आरक्षण को कार्मिक उपलब्ध नहीं होने पर आगे अग्रेषित किया जायेगा। अपीलार्थी वर्ष 2024–25 की रिक्तियों के विरूद्ध संपूर्ण योग्यता रखने के बावजूद अपीलार्थी को दिव्यांग श्रेणी में कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र के विपरीत पालना नहीं की जा रही है तथा अपीलार्थी को दिव्यांगता के आधार पर पदोन्नति में शामिल नहीं किया जा रहा है तथा ना ही पात्रता सूची में शामिल किया गया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जायें कि वर्ष 2024–25 की रिक्तियों के विरुद्ध प्रधानाध्यापक के पद पात्रता सूची में दिव्यांगता के आधार पर शामिल करते हुए अपीलार्थी की पदोन्नति पर विचार किया जावे तथा अपीलार्थी को प्रधानाध्यापक के पद पर वर्ष 2024–25 की रिक्तियों के विरूद्ध दिव्यांगजन की श्रेणी में पदोन्नति प्रदान की जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश

अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य